रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092020-221780
CG-DL-E-17092020-221780

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2822] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2020/भाद्र 26, 1942
No. 2822] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2020/BHADRA 26, 1942

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,16 सितम्बर, 2020

विषय: दिनांक 1 अप्रैल 2020 को का. आ. संख्या 1236 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अनुसूची में शामिल उत्पाद श्रेणियों के प्रभाव में आने की समयसीमा का विस्तार तथा इसके क्रम संख्या 45 पर उत्पाद श्रेणी के विवरण में संशोधन।

का. आ. 3170(अ).— जबकि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (63 का 1986) के खंड 10 (1) (पी) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और भारतीय मानक ब्यूरो, 1987 के नियम 13 के खंड (एफए) के अनुसरण में केंद्र सरकार ने 01 अप्रैल 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का. आ. संख्या 1236(अ) के द्वारा "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012" की अनुसूची में बारह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों को शामिल किया था किया था। इस आदेश के प्रभाव में आने की तारीख 01 अक्टूबर, 2020 थी। और, जबकि, इस आदेश के निर्बाध सुचारू कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के साथ चर्चा की गई है और उद्योग ने आदेश के अनुपालन के लिए और समय मांगा है, अतः एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि इस आदेश के प्रभाव में आने की तिथि 01 अप्रैल 2021 तक बढ़ा दी गई है।

इसके अलावा, अनुसूची में, क्रमांक संख्या 45 के स्तंभ (2) के अंतर्गत प्रविष्टि "सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए अकेले चल सकने योग्य एलईडी मॉड्यूल" को "सामान्य प्रकाश के लिए स्वतंत्र एलईडी मॉड्यूल" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. डब्ल्यू- 47/6/2019-आई. पी. एच. डब्ल्यू. -ई. एवं सू. प्रौ. मं.]

सौरभ रंजन, वैज्ञानिक स.

टिप्पणी : प्रधान आदेश भारत केराजपत्र, असाधारण में दिनांक 3 अक्टूबर , 2012 के का. आ. संख्या 2357 (अ) के तहत प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसमें दिनांक 5 जुलाई, 2013 को का. आ. संख्या 2034(अ), दिनांक 4 अक्टूबर, 2013,का. आ. संख्या 3022 (अ), दिनांक 13 नवम्बर, 2014, के का. आ. संख्या 2905(अ), दिनांक 3 फ़रवरी के का. आ. संख्या 345(अ), दिनांक 10 फ़रवरी , 2016 केका. आ. संख्या 638(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 के का. आ. संख्या 3509 (अ), दिनांक 23 अगस्त, 2017 केका. आ. संख्या 2403(अ) , दिनांक 5 मार्च, 2018 के का. आ. संख्या 1321(अ) तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2020 के आ. संख्या 1236 (अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2020

Subject: Extension of implementation timeline of order for product categories included in the schedule of CRO and amendment of description of product category at SL. No 45, published vide S.O. 1236(E) in Gazette of India on 1st April 2020".

S.O. 3170(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by clause 10(1)(p) of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of the Rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Central Government, had included twelve electronics and information technology products to the Schedule of the "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012" vide S.O. 1236(E) published in Gazette of India on 01st April 2020. The date of coming into effect of this Order was 01st October, 2020. And, whereas, the issues involved have been discussed with the stakeholders for smooth implementation of the Order and whereas, the industry has sought more time for compliance of the Order, it is hereby notified that the date of implementation of the Order stands extended to 01st April 2021.

Further, in the schedule, the entry "Standalone LED Modules for General Lighting" against SI No. 45 of column (2) shall be substituted by "Independent LED Modules for General Lighting"

[F. No. W-47/6/2019-IPHW-MeitY]

SAURABH RANJAN, Scientist 'C'

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O number 2357(E), dated 3rd October, 2012 and subsequently amended vide S.O. 2034(E) dated 5th July, 2013, S.O. 3022(E) dated 4th October, 2013, S.O. 2905(E) dated 13th November, 2014, S.O. 345(E) dated 3rd February, 2016, S.O. 638(E) dated 10th February, 2016, S.O. 3509(E) dated 24th October, 2016, S.O. 2742(E) dated 23 August, 2017 and S.O. 1236(E) dated 1st April, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.